

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन पर मिशन शक्ति के विशेष अभियान (फेज-04) के तहत कम्युनिटी पुलिसिंग एवं महिला सशक्तिकरण हेतु महिलाओं/बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति महोबा पुलिस द्वारा निरंतर किया जा रहा है जागरूक-

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं / बालिकाओं के सुरक्षार्थ व स्वालंबन हेतु चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान (फेज-04) के तहत पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में आज दिनांक 17.08.2024 को जनपद के समस्त थाना क्षेत्र अंतर्गत महिला बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा गांव, कस्बा, स्कूल, कालेज सहित विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर भ्रमण कर कर प्राथमिकता के आधार पर महिला/बालिकाओं को जागरूक करने के साथ ही महिला संबंधित समस्याओं के निस्तारण कराने के संबंध में चौपाल का आयोजन कर वृहद स्तर पर जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है तथा महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ शक्ति दीदी के रूप में जुड़ कर उन्हें सशक्त एवं सुरक्षित वातावरण देने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं को विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों यथा- वूमैन पॉवर लाइन-1090, पुलिस आपातकालीन सेवा-112, एम्बुलेंस सेवा-108, चाइल्ड लाइन-1098, स्वास्थ्य सेवा-102, महिला हेल्पलाइन-181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1076 तथा सार्थक और सकारात्मक चर्चा कर गुड टच, बैड टच के बारे में, घरेलू हिंसा के बारे में, साइबर अपराधों के बारे में साइबर हेल्पलाइन-1930 आदि सहित कानूनी प्रावधानों एवं उनके अधिकारों इत्यादि के बारे में चर्चा करते हुए शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी देते हुए पम्पलेट प्रदान कर जागरूक किया जा रहा है।



थाना कबरई की पुलिस टीम ने अवैध शराब के साथ एक नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपद महोबा में श्रावण मास व आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत अवैध शराब की बिक्री, परिवहन एवं निष्कर्षण से सम्बन्धित अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में दिनांक 16.08.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम् व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री नागेन्द्र कुमार नागर के द्वारा गठित की गई 30नि0 सूर्यभान सिंह मय हमराह हे0का0 रामकरन सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 01 नफर अभियुक्त शिवपाल पुत्र साधू प्रजापति उम्र 58 वर्ष निवासी मो0 विशाल नगर कस्बा व थाना कबरई जनपद महोबा जिसके कब्जे से एक प्लास्टिक की बोरी से 18 पाऊच देशी शराब नाजायज बरामद करते हुए कस्बा कबरई के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 230/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की गई ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

शिवपाल पुत्र साधू प्रजापति उम्र 58 वर्ष नि0मु0 विशाल नगर कस्बा व थाना कबरई जनपद महोबा ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. 30नि0 सूर्यभान सिंह
2. हे0कां0 रामकरन सिंह



थाना महोबकंठ की पुलिस टीम ने सार्वजनिक स्थान पर हार-जीत की बाजी लगा जुआ खेल रहे 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपद महोबा में श्रावण मास व आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत अवैध रूप से संचालित जुआ/सट्टा की प्रभावी रोकथाम हेतु ऐसे अपराधों में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 17.08.2024 को श्री सत्यम, अपर पुलिस अधीक्षक व श्रीमती हर्षिता गंगवार, क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ के निकट पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी महोबकंठ श्री राधेश्याम वर्मा के द्वारा गठित की गई उ0नि0 श्री देवीशंकर मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर खास की सूचना पर ताश के पत्ते से हारजीत की बाजी लगा कर सार्वजनिक स्थान पर रुपये से जुआ खेल रहे 03 नफर अभियुक्तगण क्रमशः 1. महेश पुत्र ग्यासी अहिरवार उम्र 35 वर्ष, 2. जाहर पुत्र कूरे अहिरवार उम्र 32 वर्ष, 3. चन्द्रपाल पुत्र बट्टीलाल उम्र 30 वर्ष निवासीगण ग्राम काशीपुरा थाना महोबकंठ जनपद महोबा को ग्राम काशीपुर के पास से पुलिस हिरासत में लिया गया। जिनकी जामा तलाशी 520/- रुपये, मालफड़ 250/- रुपये व 52 अदद ताश के पत्ते बरामद हुए तथा मौके से एक अभियुक्त नाम पता अज्ञात भागने में सफल रहा। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय में मु0अ0सं0 157/2024 धारा 13 जुआ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की गई।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. महेश पुत्र ग्यासी अहिरवार उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम काशीपुरा थाना महोबकंठ जनपद महोबा
2. जाहर पुत्र कूरे अहिरवार उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम काशीपुरा थाना महोबकंठ जनपद महोबा
3. चन्द्रपाल पुत्र बट्टीलाल उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम काशीपुरा थाना महोबकंठ जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 देवीशंकर मिश्रा
2. प्रशि0 उ0नि0 अनुज कुमार सिंह
3. का0 सौरभ सिंह
4. का0 रामनाथ गौतम
5. का0 अरूण यादव



थाना चरखारी की पुलिस टीम ने अवैध गांजा के साथ

01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन पर जनपद महोबा में श्रावण मास व आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक गतिविधियों को कारित करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अवैध गांजा/शराब की बिक्री व परिवहन की रोकथाम अभियान के क्रम में आज दिनांक 17.07.2024 को श्री सत्यम्, अपर पुलिस अधीक्षक व श्री रविकान्त गौड़ क्षेत्राधिकारी चरखारी के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्री गणेश कुमार द्वारा गठित टीम 30नि0 सनय कुमार मय हमराह 30नि0 प्रशिक्षु हार्दिक सिंह, का0 वीरेश्वर दत्त मिश्र के द्वारा तलाश वाँछित/वारण्टी, चेकिंग सदिग्ध/व्यक्ति के दौरान 01 नफर अभियुक्त मिथलेश प्रजापति पुत्र हरिचरन उम्र 32 वर्ष निवासी मो0 हाथीखाना कस्बा व थाना चरखारी जनपद महोबा जिसके कब्जे से 400 ग्राम अवैध सूखा गांजा नाजायज बरामद करते हुए सूपा रोड के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 200/2024 धारा 8/20 NDPS ACT का अभियोग पंजीकृत किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

मिथलेश प्रजापति पुत्र हरिचरन उम्र 32 वर्ष निवासी मो0 हाथीखाना कस्बा व थाना चरखारी जनपद महोबा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. 30नि0 सनय कुमार
2. 30नि0 प्रशिक्षु हार्दिक सिंह
3. का0 वीरेश्वर दत्त मिश्र



मा0 मंडलायुक्त एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक चित्रकूट धाम बांदा द्वारा आगामी कजली मेला महोत्सव का स्थलीय निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में सम्बन्धित को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश

आज दिनांक 17.08.2024 को मंडलायुक्त चित्रकूट धाम श्री बालकृष्ण त्रिपाठी एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक चित्रकूट धाम बांदा श्री अजय कुमार सिंह द्वारा पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती अपर्णा गुप्ता की उपस्थिति में आगामी ऐतिहासिक कजली मेला महोत्सव के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस/राजस्व अधिकारियों के साथ मेला स्थल का स्थलीय निरीक्षण किया गया एवं व्यापक पुलिस प्रबन्ध करते हुये यातायात/सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में सम्बन्धित की दिये गये आवश्यक निर्देश।

इस दौरान पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा मेला प्रबंधन समिति से समुचित सुरक्षा व्यवस्था को लेकर वार्ता की गयी तथा उनके द्वारा की गयी तैयारियों की समीक्षा भी की, साथ ही निर्देश दिया कि दो दुकानों के बीच के मार्गों को चौड़ा रखा जाए जिससे लोगों को दूर-दूर चलने में परेशानी ना हो और ट्रैफिक जाम की स्थिति भी ना हो।

पुलिस अधीक्षक महोबा ने कहा कि मेला स्थल के अंदर वाहनों का प्रवेश बिल्कुल वर्जित रखा जाए, आयोजन समिति को पूर्ण आश्वासन दिया कि पुलिस बल की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी और समिति को मेला आयोजन करने में पूरी मदद पुलिस करेगी।

इस दौरान श्री सत्यम, अपर पुलिस अधीक्षक, सीडीओ चित्रसेन सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त/राजस्व राम प्रकाश व अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।

थाना कुलपहाड़ की पुलिस टीम ने अवैध गांजा के साथ

01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन पर जनपद महोबा में श्रावण मास व आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक गतिविधियों को कारित करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अवैध गांजा/शराब की बिक्री व परिवहन की रोकथाम अभियान के क्रम में आज दिनांक 17.08.2024 को श्री सत्यम्, अपर पुलिस अधीक्षक व श्रीमती हर्षिता गंगवार क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कुलपहाड़ श्री अर्जुन सिंह द्वारा गठित की गई 30नि0 धर्मन्द्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 01 नफर अभियुक्त सचिन यादव उर्फ सचिन्द्र पुत्र उत्तम सिंह यादव उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम सुगिरा थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा जिसके कब्जे से एक किलो 100 ग्राम सूखा गांजा नाजायज बरामद हुए नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 256/2024 धारा 8/20 NDPS ACT का अभियोग पंजीकृत किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

सचिन यादव उर्फ सचिन्द्र पुत्र उत्तम सिंह यादव उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम सुगिरा थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. 30नि0 धर्मन्द्र सिंह
2. का0 कुलदीप सिंह
3. का0 विनय प्रताप सिंह



थाना कुलपहाड़ पुलिस टीम ने चोरी की मोटरसाइकिल सहित

02 अदद अवैध तमंचा व कारतूस के साथ 03 नफर वांछित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपद महोबा में श्रावण मास व आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 17.08.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम् व श्रीमती हर्षिता गंगवार, क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कुलपहाड़ श्री अर्जुन सिंह द्वारा गठित टीम उ0नि0 दिनेश तिवारी, का0 दिनेश सिंह सेंगर, का0 राजेश सिंह, का0 अजय कुमार, का0 मनोज कुमार द्वारा थाना स्थानीय में पंजीकृत मु0अ0सं0 255/2024 धारा 303(2) BNS से सम्बन्धित 02 नफर वांछित अभियुक्तगण क्रमशः 1. शिवम शिवहरे पुत्र जयराम शिवहरे उम्र 19 वर्ष 2. हरगोविन्द उर्फ गोविन्दा कुशवाहा पुत्र रामआसरे कुशवाहा उम्र करीब 18 वर्ष 3. पुष्पेन्द्र कुशवाहा पुत्र बाबूलाल उम्र करीब 18 वर्ष से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित चोरी की गयी एक अदद मोटर साइकिल पैशन प्रो नं0 UP 95 J 7597 चेसिस MBLHA10BSFHK20799 इन्जन नम्बर HA10EVFHK21962 सहित अभियुक्त शिवम शिवहरे व अभियुक्त हरगोविन्द उर्फ गोविन्दा कुशवाहा के कब्जे से 01-01 अदद तमंचा 315 बोर व 01-01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद करते हुए नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से अवैध शस्त्र की बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना स्थानीय पर क्रमशः मु0अ0सं0 257/2024 व मु0अ0सं0 258/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्तगण उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:-

1. शिवम शिवहरे पुत्र जयराम शिवहरे उम्र 19 वर्ष निवासी नाऊ मुहल्ला ग्राम सिजहरी थाना श्रीनगर जनपद महोबा
2. हरगोविन्द उर्फ गोविन्दा कुशवाहा पुत्र रामआसरे कुशवाहा उम्र करीब 18 वर्ष निवासी मु0 दाऊपुरा कस्बा व थाना श्रीनगर जनपद महोबा
3. पुष्पेन्द्र कुशवाहा पुत्र बाबूलाल उम्र करीब 18 वर्ष नि0 मु0 दाऊपुरा कस्बा व श्रीनगर जनपद महोबा

बरामदगी-

1. एक अदद मोटर साइकिल पैशन प्रो UP 95 J 7597 चेसिस MBLHA10BSFHK20799 इन्जन नम्बर HA10EVFHK21962
2. 02 अदद तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 दिनेश तिवारी
2. का0 दिनेश सिंह सेंगर
3. का0 राजेश सिंह
4. का0 अजय कुमार
5. का0 मनोज कुमार

